कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल दमोह (म0प्र0)

पता -- कमला नेहरू कॉलेज के पास सिविल वार्ड नं.--4, जिला दमोह (म.प्र.) पिन : 470661

E-Mail :-dfodmoh@mp.gov.in, Phone :- 07812-222641 Fax -07812-227205

क्रमांक / मा.चि. / 2018 / 941 दमोह, दिनांक 23-03-2018

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
जिला--दमोह

संशोधित पत्र

विषय:-- प्रस्तावित सतधारू मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब से प्रभावित वनक्षेत्र के लिए राशि जमा करने बावत्।

संदर्भ:-- 1. आपका पत्र क्रमांक / 725 दिनांक 23.03.2018.
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / मा.चि. / 935 दिनांक 23.03.2018.

----------00000----------

विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र दिनांक 23.03.2018 द्वारा प्रकरण में प्रभावित 789.93 हे. वनभूमि की एन.पी.व्ही. एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण की कुल राशि 905000100.00 रूपये (अंकन नब्बे करोड़ पचास लाख एक सौ) का मांग पत्र चाहा गया है। जिसमें उपरोक्त राशि के अतिरिक्त भविष्य में राशि की मांग की जाती है तो उसके भुगतान के लिए आवेदक संस्था वचनबद्ध है, भी लेख किया गया है।

प्रकरण में प्रभावित 789.93 हे. वनभूमि की वास्तविक रूप से एन.पी.व्ही. एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण की कुल राशि 905024400.00 रूपये (अंकन नब्बे करोड़ पचास लाख चौबीस हजार चार सौ) आंकलित की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	वन मंडल का नाम	मद	दर	कैम्पा मद में जमा किये जाने वाली राशि
1	2	3	4	5
1	दमोह	क्षतिपूरक वृक्षारोपण राशि	वृक्षारोपण योजनानुसार	328422576.00 (बत्तीस करोड़ चौरासी लाख बाईस हजार पांच सौ छिहत्तर रूपये)
			वर्तमान वृक्षारोपण योजना में Soil & Moisture Conservation के प्रावधान हेतु योजना की 25 प्रतिशत राशि	82105644.00 (आठ करोड़ इक्कीस लाख पांच हजार छः सौ चवालीस रूपये)
			वृक्षारोपण की कुल राशि	410528220.00
2	दमोह	नेट प्रेजेंट वैल्यू की राशि रकबा (789.93 हे.)	म.प्र.शासन वन विभाग के आदेश दिनांक 12.09.2008 में ईको वैल्यू श्रेणी (III) के उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन घने व विरल क्षेत्र (0.4 या कम) के अनुसार 6.26 लाख प्रति हे.	494496180.00 (उनन्चास करोड़ चवालीस लाख छियानवे हजार एक सौ अस्सी रूपये)
			योग:--	905024400.00

अतः उपरोक्तानुसार वास्तविक रूप से आंकलित राशि 905024400.00 रूपये (अंकन नब्बे करोड़ पचास लाख चौबीस हजार चार सौ) में से आपके द्वारा चाही गये मांग पत्र (डिमांड नोट) अनुसार राशि 905000100.00 रूपये (अंकन नब्बे करोड़ पचास लाख एक सौ) राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम) भोपाल के अनुमोदन उपरांत केम्पा मद में जमा कर पुष्टि हेतु जमा की गई राशि की

जानकारी इस कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करें। व शेष राशि 24300.00 रूपये भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति उपरांत जमा करें। उल्लेखनीय है, कि सामान्यतः डिमांड नोट की मांग भारत सरकार से प्रथम चरण की स्वीकृति उपरांत ही की जाती है, किन्तु आपके द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति के पूर्व ही उक्त राशि के डिमांड नोट की मांग की गई है। अतः भविष्य में यदि प्रकरण में किन्हीं कारणों से भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तो आपके द्वारा जमा की गई राशि की वापसी संबंधी कार्यवाही के लिए आवेदक संस्था स्वयं जवाबदार होगी।

वन मंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल,दमोह (म.प्र.)

पृ. क्रमांक/मानि./2018/ 352 दमोह, दिनांक 23-03-2018

प्रतिलिपिः—

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर इस कार्यालय के पत्र.पृ. क्रमांक मानि./ 936 दिनांक 23.03.2018 के तारतम्य में सूचनार्थ संप्रेषित। दिनांक 23.03.2018 को आपसे दूरभाष पर चर्चा में दिये गये निर्देशानुसार प्रकरण में प्रभावित 789.93 हे. वनभूमि की एन.पी.व्ही. की राशि एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि का मांग पत्र अनुमोदन करने का कष्ट करें। आवेदक संस्था द्वारा भविष्य में उपरोक्त राशि के अतिरिक्त कोई भी राशि की मांग की जाती है। तो उसके भुगतान करने के लिए वचनबद्ध है का वचन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

2. मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त सागर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

वन मंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल,दमोह (म.प्र.)